समाहरणालय, मुंगेर
(जिला पंचायत राज कार्यालय)
आदेश

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज ,लौना एंव अफजलनगर के प्रभार में रहने के बावजूद अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, दो माह तक ना ही साप्ताहिक बैठक भाग लेने, एंव ना ही प्रखण्ड कार्यालय आकर पेंशन संबंधित आवेदन पत्रों को प्राप्त करने, अफजलनगर का प्रभार श्री प्रवीण कुमार ,पंचायत सचिव को आंवटित करने के पश्चात् भी नहीं सौपने, दोनो पंचायतो का कार्य बाधित करने जिसके कारण जन्म –मृत्यु निबंधन कार्य, पारिवारिक लाभ योजना, सूचना के अधिकार अधिनियम एंव लोक सेवाओं का अधिकार के तहत् प्राप्त आवेदन पत्रों का जॉच प्रतिवेदन, पंचायत शिक्षक नियोजन संबंधी कार्य, पंचायत स्तरीय विभिन्न योजनाओं तथा चतुर्थ वित्त आयोग, तेरहवीं वित्त, बी0 आर0जी0एफ0 योजना का क्रियान्वयन, रोकड बही एंव बैंक पासबुक का भी अंकेक्षण नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांकः–639 / पं0,दिनांकः–26.10.2015 के द्वारा श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, पंचायत सचिव, को निलंबित किया गया था ।

अनुमंडल पदाधिकारी,तारापुर के पत्रांकः–323 / दिनांकः–16.02.2016 के द्वारा श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, पंचायत सचिव के विरूद्व विधिवत् प्रपत्र "क" का गठन कर साक्ष्य के साथ उपलब्ध कराया गया। जिसे अनुमोदन करते हुए इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1088 / पं0, दिनांक 28.05.2016 के द्वारा विभागीय कार्रवाई हेतु संचालन पदाधिकारी अपर समाहर्ता, एवं उपस्थापन पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, तारापुर को नामित किया गया।

अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, मुंगेर के पत्रांक 70, दिनांक 24.08.2017 के द्वारा विभागीय कार्रवाई अभिलेख का संचालन पूर्ण कर अभिलेख मूल रूप में उपलब्ध कराया गया। विभागीय कार्रवाई के अभिलेख के अवलोकन एवं विवेचना से स्पष्ट होता है कि श्री सिंह, पंचायत सचिव पर लगाये गये तीनों आरोप प्रमाणित पाया गया है।

विभागीय कार्रवाई में आरोप प्रमाणित होने के कारण इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1045 / पं0, दिनांक 09.10.2017 के द्वारा श्री सिंह, पंचायत सचिव से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई। द्वितीय कारण पृच्छा श्री सिंह, पंचायत सचिव के द्वारा समर्पित किया गया, जिसमें श्री सिंह, पंचायत सचिव ने कहा है कि ग्राम पंचायत राज, लौना एवं अफजलनगर का प्रभार पंचायत सचिव श्री प्रवीण कुमार को दे देने, वरीय पदाधिकारियों के आदेश का अवहेलना नहीं करने, आदेश का अनुपालन करने एवं सामाजिक सुरक्षा की पेंशन की राशि कुल मो0–26,800.00 (छब्बीस हजार आठ सौ) प्रखण्ड नजारत में जमा कर देने का स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है । श्री सिंह, पंचायत सचिव का द्वितीय कारण पृच्छा संतोषजनक नहीं है। इसी क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तारापुर के पत्रांकः–1230 / दिनांकः–28.08.2019 के द्वारा श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, पंचायत सचिव, से राशि कुलः–26,800.00 (छब्बीस हजार आठ सौ) रूपये जमा करने की सूचना दी गई है ।

अतः उपरोक्त आरोप प्रमाणित होने के कारण श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, पंचायत सचिव, को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 14(iV) के अनुरूप तीन वेतनवृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोकने की सजा अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

इसके अतिरिक्ति श्री सिंह, पंचायत सचिव, प्रखण्ड कार्यालय, वरियारपुर को बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एंव अपील नियमावली 2005 यथासंशोधित 2007 के के नियम 9(7) के आलोक में तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है । निलंबन मुक्त करने के उपरान्त इन्हें प्रखण्ड कार्यायल, वरियारपुर में पदस्थापित किया जाता है ।

प्र0 वि0 पदाधिकारी, तारापुर को आदेश दिया जाता है कि इस आशय की प्रविष्टि इनकी सेवापुस्त में दर्ज करते हुए इसकी अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ भेजना सुनिश्चित करें।

सo/-
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 1230 /पं0, दिनांक 04/11/19

प्रतिलिपि– श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, पंचायत सचिव, प्रखण्ड कार्यालय,तारापुर को सूचनार्थ एंव अनुपालनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि– प्रखंड विकास पदाधिकारी, वरियारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि संबंधित पंचायत सचिव को अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर निलंबन अवधि में बितायी गयी अवधि का वेतनादि का भुगतान कराना सुनिश्चित करें ।

प्रतिलिपि– पत्र की एक प्रति के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी, तारापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि संबंधित पंचायत सचिव को पत्र का तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन अविलम्ब भेजे।

प्रतिलिपि–उप विकास आयुक्त, मुंगेर /अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मुंगेर/तारापुर एंव खडगपुर /कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर /जिला सूचना एंव विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

04/XI/19
जिला पदाधिकारी ,
मुंगेर।

satyendra narayan singh 08-07-2015